

नगर निगम/परिषद/पालिका का नाम.....
(500 वर्गमीटर से अधिक भूखण्ड के भवन मानचित्र के अनुमोदन के संबंध में आवेदन पत्र)

सेवामें,

श्रीमान, आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,

विषय :- भूखण्ड संख्या योजना पर का भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत।

महोदय,

प्रार्थी द्वारा धारित भूखण्ड जिसका ब्यौरा नीचे दिया हुआ है, पर प्रार्थी भवन निर्माण करना चाहता है:-

भूखण्ड संख्या :
योजना का नाम :
मार्ग जिस पर :
भूखण्ड स्थित है।

नगरी निकायों हेतु भवन विनियम 2010/2013 में अपेक्षित निम्न स्वप्रमाणिता दस्तावेज संलग्न करते हुए निवेदन है, कि कृपया मानचित्र का अनुमोदन कर अनुज्ञा/स्वीकृति पत्र जारी करने का श्रम करें :-

क्र. सं.	संलग्न क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	1	भूखण्ड का स्थल मानचित्र (साईट प्लान)	
2.	2	भूखण्ड का स्वामित्व दस्तावेज लीजडीड लाईसेन्स डीड आवेदन पत्र (यदि आवेदक स्वयं लीजधारक हो या लीजडीड, पंजिकृत विक्रय, अभिलेख एवं भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण प्रमाण पत्र। यदि आवेदक के किसी अन्य लीज धारक से भूखण्ड खरीद रखा है।)	
3.		प्रस्तावित भवन मानचित्रों के सैट की पांच प्रतियां जिनमें दो क्लोथ माउन्टेड	
4.		बेसमेन्ट एवं स्टिल्ट के उप भाग को जिसे वाहनों की पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है, के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण में आवश्यक अण्डरटैकिंग व शपथ पत्र।	
5.		भूखण्ड के सामने सड़क को चौड़ा करने का उद्देश्य से सड़क के साथ भूखण्ड में से भू-पट्टी समर्पित की जाने के संबंध में सरन्डर डीड तथा कब्जा संभलवाये जाने का प्रमाण पत्र।	
6.		यदि आवंटन शर्तों/पट्टा शर्तों में किसी शर्त के विपरीत मानचित्र प्रस्तुत किये गये है, तो सक्षम अधिकारी का अनापति प्रमाण पत्र।	

7.		यदि प्रार्थी प्रस्तावित भवन को मास्टर प्लान में स्वीकृत भू-उपयोग के विपरीत भवन निर्माण करना चाहता है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में प्रमाण पत्र।	
8.		बहुमंजिले भवनों के मामलों में चीफ फायर ऑफिसर का सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र।	
9.		पैट्रोल पम्प एवं फिलिंग स्टेशन के मामलों में चीफ कन्ट्रोलर ऑफ एक्सप्लोविस एवं चीफ फायर ऑफिसर का सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र।	
10.		यदि प्रस्तावित भवन में तहखाना पड़ोसी के भूखण्ड की सीमा के 2 मीटर की दूरी से कम पर बनाया जाता है, तो पड़ोसी व प्राधिकरण के हित में इन्डेमिनिटी बॉण्ड।	
11.		सांगानेर हवाई हड्डे की सीमा में 2 कि. मी. की दूरी तक प्रस्तावित भवन की ऊँचाई के संबंध में नागरिक उड्डयन विभाग का अनापति प्रमाण पत्र।	
12.		प्रस्तावित भवन के वास्तुविद् द्वारा 5/- रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र इस आशय का कि भवन संबंधी सभी आवश्यकताओं का मानक इन विनियमों एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार हैं।	
13.		यदि भूखण्ड पर कोई वाद चल रहा है तो वाद संबंधी सम्पूर्ण जानकारी व वर्तमान स्थिति की पूर्ण सूचना।	
14.		
15.		
16.		आवेदक का फोटो पहचान पत्र।	
17.		स्वप्रमाणित घोषणा पत्र प्रपत्र 1 के अनुसार।	

18.	शुल्क तथा प्रभार :-			
		क्षेत्रफल	दर (प्रति व.मी.)	राशि
1.	पार्किंग का कम स्थान उपलब्ध होने के एवज में शुल्क
2.	विकास शुल्क
3.	परिधि विकास शुल्क
4.	रूपान्तरण शुल्क
5.	भवन मानचित्र अनुज्ञा शुल्क
6.	मलबा शुल्क
7.	नवीनीकरण शुल्क
8.	अधिवास प्रमाण पत्र शुल्क
9.	मानचित्र की अतिरिक्त प्रति

	शुल्क			
10.	अन्य

प्रार्थना पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज उपरोक्तानुसार स्वगणित शुल्क जमा कर चालान की प्रति संलग्न कर दिये हैं। अतः निवेदन है कि भवन निर्माण की अनुज्ञा शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करें।

दिनांक

प्रार्थी का नाम.....

डाक का पता.....

.....

स्व-घोषणा पत्र

स्वप्रमाणित फोटो

मैं..... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री.....
उम्र..... वर्ष, निवासीजिला
..... राजस्थान घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन पत्र में वर्णित समस्त सूचनाएँ तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र/क्षतिपूर्ति बंधपत्र तथा अन्य अण्डरटैकिंग एवं समस्त दस्तावेज मेरी निजी जानकारी और विश्वास में सही एवं दूरस्त है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे इस बात का ज्ञान है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी भविष्य में झूठी/असत्य पाये जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी एवं मुझे इसके लिए विधि अनुसार दण्ड का सामना करना पड़ेगा तथा जो भी लाभ मेरे द्वारा प्राप्त किये हैं, उन्हे पूर्ण रूप से वापिस ले लिया जावेगा।

दिनांक

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

अण्डरटेकिंग

मैं पुत्र श्री
निवासी

.....पूरे होश हवास में शपथपूर्वक निम्न तथ्यों का वर्णन करता हूँ:-

1. मैं तकनीकीविज्ञ, वास्तुविद् काउंसिल/नगर निगम/परिषद/पालिका में पंजीकृत हूँ तथा पंजीयन नम्बर हैं।
2. मुझे भूखण्ड संख्या जो योजना के अन्तर्गत है उसके भवन मानचित्र तैयार करने एवं भवन के पर्यवेक्षण करने का कार्य तकनीकीविज्ञ होने के फलस्वरूप दिया गया है।
3. उपरोक्त भूखण्ड के लिए मेरें भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप भवन मानचित्र तैयार किये गये हैं।
4. मेरे द्वारा योजना के ले-आउट का अध्ययन कर लिया गया है, तथा भूखण्ड व कॉलोनी से संबंधित सभी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर ली है।

भवन मानचित्र का विस्तृत विवरण निम्न हैं:7

1. भूखण्ड का नाप व क्षेत्रफल
2. भवन के पैरामीटर साईट प्लान के अनुसार
3. सैटबैक :-

	अनुज्ञेय	प्रस्तावित टिप्पणी
(अ) सामने
(ब) पार्श्व-प्रथम
(स) पार्श्व-द्वितीय
(द) पीछे
अच्छादित क्षेत्र
भवन की उंचाई
4. (अ) फ्लोर ऐरिया का विवरण:
(ब) बेसमेन्ट
(स) प्रथम मंजिल
(द) द्वितीय मंजिल
(य) तृतीय मंजिल
(र) चतुर्थ मंजिल
(ल) पंचम मंजिल
(व) प्रथम मंजिल
(ह) प्रथम मंजिल
(क्ष) प्रथम मंजिल
(त्र) सर्विस फ्लोर
(द) टैरेस फ्लोर
साकल निर्मित क्षेत्रफल
(कुल योग)
(ब) एफ.ए.आर. की गणना
स्कल निर्मित क्षेत्र छूट

योग्य क्षेत्र
भूखण्ड का क्षेत्रफल
पार्किंग :-
(अ) खुले में
(ब) भू-मंजिल पर
(स) आच्छादित पार्किंग
(द) बेसमेंट पार्किंग
कुल पार्किंग

5. भूखण्ड का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया इसका भू-उपयोग स्वीकृत योजना के अनुरूप है। भूखण्ड का मौके पर डिमार्केशन कर दिया तथा मौके पर उपलब्ध भूखण्ड का नाम, आकार स्थिति व क्षेत्रफल स्वीकृत योजना के अनुरूप ही हैं।
6. योजना प्लान में दर्शायी गई सड़क नगर निगम/परिषद/पालिका की भूमि या अन्य भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण भूखण्डधारी द्वारा नहीं किया गया है, तथा मौके पर सड़क की चौड़ाई योजना में दर्शाये अनुसार उपलब्ध हैं।
7. यदि भवन निर्माता किसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुक्त करता हैं, तो में संबंधित विभाग को 48 घण्टे के अन्दर सूचित करूंगा।
8. यदि किसी अवस्था में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कुछ भी पाया जाये या स्थापित हो जाये तो संबंधित विभाग को कोई भी कार्यवाही मेरे विरुद्ध करने को लिए सक्षम होगा जिसमें मानचित्रों की स्वीकृति रद्द करना मेरे को विभाग में मानचित्र प्रस्तुत करने की सेवा कार्य से हटाना भी शामिल एवं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को उचित कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जा सकता हैं।
9. प्रस्ताव लीजडीड की शर्तों के अनुसार है, तथा लीजडीड के अनुसार जारी की गई निर्माण अनुज्ञा/नवीनीकरण दिनांक तक वैध है।
10. भवन मानचित्र नगर निगम/परिषद/पालिका भवन विनियम 2010/2013 अथवा निकाय द्वारा स्वीकृत भवन मानदण्ड के अनुरूप तैयार किये हैं। मानचित्र तैयार करते समय विनियमों की गलत व्याख्या नहीं की गई हैं। भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप ही किया जायेगा।
11. प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से पूर्व आवश्यक सूचनाएं/स्पष्टीकरण इत्यादि संबंधित विभाग से प्राप्त कर ली गई थी। भवन मानचित्र बनाते समय कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया हैं।

तकनीकीविज्ञ के हस्ताक्षर

..... मैं ऊपर वर्णित तकनीकीविज्ञ आज दिनांक वर्ग
..... को जयपुर में प्रमाणित करता हूं कि उपर अण्डरटेकिंग में दिए गये तथ्य
..... मेरी जानकारी में सत्य है, तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया हैं।

तकनीकीविज्ञ के हस्ताक्षर

शपथ-पत्र

मैं..... आयु

.....वर्ष, निवासी

..... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ, कि मेरे द्वारा मानचित्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भूमि पूर्णतया मेरे स्वामित्व की हैं, तथा निकाय की आवृत्ति में नहीं आती हैं, और न ही भूमि अवाप्त हैं।

शपथ ग्रहिता

(कृषि भूमि की स्थिति में)

कि जिस भूमि के भवन निर्माण मानचित्र प्रस्तुत कर रहे हैं उस भूमि का रूपान्तरण शुल्क जमा करवाकर सक्षम अधिकारी से भूमि का रूपान्तरण करा लिया गया है। कि यदि उपरोक्त तथ्यों में से कोई गलत पाया जाता है, तो परिणाम के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा।

शपथ ग्रहिता

क्षतिपूरक प्रतिज्ञा-पत्र

मैं आयु
.....वर्ष, निवासी
..... निम्न क्षतिपूरक लेख करता हूँ :-

यह भूखण्ड संख्या निकाय क्षेत्र में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल
.....वर्ग मीटर है, का स्वामी/होल्डर हूँ/है कि मैं उपरोक्त भूखण्ड पर निर्माण करना
चाहता हूँ।

यह कि नगर निगम/परिषद/पालिका भवन विनियम 2010/2013 के अन्तर्गत
उपरोक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु मेरे पत्र दिनांक के द्वारा प्राधिकरण
जयपुर में मानचित्र प्रस्तुत किए हैं।

यह कि नगर निगम/परिषद/पालिका ने उपरोक्त प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर भवन
निर्माण की स्वीकृति देने पर सहमत हैं।

अतः यह लेख पत्र साक्षी है, कि उक्त शपथ-पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड जो
भूखण्ड संख्या निकाय क्षेत्र में स्थित है, जिसके भवन निर्माण के
मानचित्र मेरे प्रार्थना पत्र दिनांक के द्वारा प्रस्तुत किए गये थे, जिन पर
नगर निगम/परिषद/पालिका स्वीकृति देने पर सहमत हैं। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि
उक्त स्वीकृति के कारण यदि नगर निगम/परिषद/पालिका को किसी न्यायालय या
सक्षम अधिकारी के सक्षम किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च नुकसान मुआवजा देना पड़े या
देने योग्य हो तो मैं उनकी क्षति को पूर्ण करूंगा।

मैं यह भी बयान करता हूँ कि मैं और मेरे उत्तराधिकारी इस क्षतिपूरक प्रतिज्ञा पत्र की
उपरोक्त शर्तों से बाध्य रहेंगे।

दिनांक :-

निष्पादक

गवाह :1.

2.

अण्डरटेकिंग

मैं आयु
.....वर्ष, निवासी पूरे होश
हवास में शपथपूर्वक निम्न प्रस्तुत करता हूँ।

1. यह कि प्लॉट नम्बर निकाय क्षेत्र में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल वर्गगज है, के स्वामी/होल्डर हूँ।
2. यह कि प्रस्तावित भवन में सौर ऊर्जा उपकरण एवं वर्षा जल संग्रहण का प्रावधान भवन विनियम 2010 के अनुसार करूँगा/करेंगे।
3. यह कि प्रस्तावित भवन में विद्युत सेवाएँ बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के अनुसार करूँगा/करेंगे।
4. यह कि प्रस्तावित भवन में भूकम्परोधी प्रावधान आई. एस. के प्रावधान के अनुसार करूँगा/करेंगे।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

मैं शपथग्रहिता यह सत्यापित करता हूँ/करते है
कि उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में सही है एवं बिना किसी दबाव के
स्वेच्छा से रू-ब-रू तहरीर कर दी गई है तथा कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है,
ईश्वर मेरी/हमारी रक्षा करें।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

**CERTIFICATE OF UNDERTAKING
FOR COMPLIANCE OF THE PROVISION OF N.B.C. PART- VI
FOR EARTHQUAKE SAFETY**

(To be submitted at the time of approval of building plans)

Plot No.
Scheme
Area of the Plot
Proposed Height of the building

1. Certified the building Plans submitted for approval satisfy the safety requirement as stipulated under building regulation no. 14.7 and the information given therein is factually correct to the best of our knowledge and understanding.
2. It is also certified that the structural design including safety from earthquake shall be duly incorporated in the design of the building and these provision shall be adhered to during the construction.

Signature of Owner
Name & Address.....

Signature of Structural Engineer
Name & Address
Registration No.....

Signature of Architect
Name & Address
Registration No.....

शपथ-पत्र

मैं आयु
..... वर्ष, निवासी पूरे होश
हवास में शपथ पूर्वक निम्न प्रस्तुत करता हूं।

1. यह कि प्लॉट नम्बर निकाय क्षेत्र में स्थित हैं, जिसका क्षेत्रफल वर्गमीटर है, कि स्वामी/होल्डर हूं तथा मैंने द्वारा उक्त भूखण्ड पर निर्माण हेतु मानचित्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं। प्रस्तावित भूमि/भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का मंदिर/मस्जिद/एच.टी.लाइन/स्थाई/अस्थाई निर्माण नहीं है।

निष्पादक

अण्डरटेकिंग

मैं..... पुत्र श्री
.....आयु वर्ष, बहैसियतजयपुर
(राज.) पूरे होश हवास में शपथपूर्वक निम्न प्रस्तुत करता हूँ।

1. यह कि प्लॉट नम्बरनिकाय क्षेत्र में स्थित हैं, जिसका क्षेत्रफल वर्गमीटर है, कि स्वामी/होल्डर है।
2. यह कि प्रस्तावित भवन के लिए नागरिक उड्डयन विभाग व अग्निशमन विभाग तथा पर्यावरण विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।
3. यह कि मैसर्स प्रस्तावित भवन के मानचित्र उपरोक्त दोनों अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्राप्त कर सकेगा तथा उक्त कारण से होने वाली देरी के लिए स्वयं ही जिम्मेवार होगा। उक्त कारण से होने वाली देरी के लिए नगर निगम/परिषद/पालिका का कोई भी अधिकारी व कर्मचारी किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता यह सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में सही हैं एवं बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से रू-ब-रू तहरीर कर दी गई है तथा कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है, ईश्वर मेरी/हमारी रक्षा करें।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

गवाह :1.

2.

नगर निगम / परिषद / पालिका
पार्किंग सम्बन्धी शपथ-पत्र

मैं निवासी
..... निम्न क्षतिपूरक लेख करता हूँ:-

1. यह कि पुर्नगठित भूखण्ड संख्या निकाय क्षेत्र में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल..... के स्वामी/होल्डर है।
2. यह कि प्रस्तावित भवन में वाहनों की पार्किंग के लिए बेसमेन्ट में वर्ग मीटर तथा रिटल्ट फ्लोर पर वर्गमीटर अर्थात कुल वर्गमीटर फ्लोर एरिया आरक्षित किया गया है।
3. यह कि मेरे द्वारा भवन के निवासकर्ताओं को पार्किंग क्षेत्र सबलीज पर केवल पार्किंग उपयोग हेतु ही उपलब्ध करवाया जावेगा।
4. यह कि बेसमेन्ट व रिटल्ट के पार्किंग क्षेत्र को मेरे द्वारा या सबलीजकर्ता द्वारा यदि अन्य उपयोग में परिवर्तन किया जाता है, तो निकाय/नगर निगम को अनाधिकृत निर्माण/उपयोग को हटाने का पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षरकर्ता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करते हैं कि शपथ पत्र के चरण: 1 से 4 में वर्णित तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही है। इसमें कोई तथ्य गलत नहीं है एवं कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी रक्षा करें।

सत्यापनकर्ता

पार्किंग हेतु अण्डरटेकिंग

नगर निगम/परिषद/पालिका भवन विनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मैं
..... भूखण्ड संख्या के अनुमोदित भवन मानचित्रों में बैसमेंट
में वर्गमीटर रिटल्ट में वर्गमीटर एवं खुले क्षेत्र में .
..... वर्गमीटर के जिस भाग को पार्किंग के उपयोग में दर्शाया गया है, के
सम्बन्ध में नगर निगम/परिषद/पालिका के हक में यह शपथ पत्र देता हूँ कि इसे केवल
पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जायेगा। मेरे द्वारा आवासीय भवन में पार्किंग क्षेत्र को
अधिकार पत्र के माध्यम से निवासकर्ता के पार्किंग उपयोग हेतु अधिकृत कर सकूंगा। मेरे
द्वारा प्रत्येक निवास ईकाई को कम से कम एक चौपहिया वाहन की पार्किंग चिन्हित कर
आवश्यक रूप से अधिकृत करूंगा। इसका पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाये जाने पर,
नगर निगम/परिषद/पालिका बिना किसी सूचना के तोड़ने का हकदार होगा एवं तोड़ने
का हर्जा-खर्चा संबंधित क्रेता जिसने पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग किया है, से वसूला
जा सकता है।

हस्ताक्षर

नगर निगम / परिषद / पालिका
पार्किंग सम्बन्धी वचनबद्धता (अण्डरस्टेकिंग)

मैं निवासी
..... शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करते हैं कि :-

1. यह कि भूखण्ड संख्या निकाय क्षेत्र में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल..... के स्वामी / होल्डर है।
2. यह कि प्रस्तावित भवन में वाहनों की पार्किंग के लिए बेसमेन्ट में वर्ग मीटर तथा रिटल्ट फ्लोर पर वर्गमीटर अर्थात कुल वर्गमीटर फ्लोर एरिया आरक्षित किया गया है।
3. यह कि मेरे द्वारा भवन के निवासकर्ताओं को पार्किंग क्षेत्र सबलीज पर केवल पार्किंग उपयोग हेतु ही उपलब्ध करवाया जावेगा।
4. यह कि बेसमेन्ट व रिटल्ट के पार्किंग क्षेत्र को मेरे द्वारा या सबलीजकर्ता द्वारा अन्य उपयोग में परिवर्तन किया जाता है, तो निकाय को अनाधिकृत निर्माण / उपयोग को हटाने का पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षरकर्ता

सत्यापन

मैं उपरोक्त वचनबद्धता विलेखकर्ता ने उपरोक्त इबारत / प्रलेख स्वस्थ चित्त व मनसे बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से रूबरू तहरीर कर दी है।

वचनबद्धता विलेख

- 1.
- 2.

नगर निगम/परिषद/पालिका पार्किंग हेतु अण्डरटेकिंग

नगर निगम/परिषद/पालिका भवन विनियम के पार्किंग के प्रावधानों के अन्तर्गत मैं भूखण्ड संख्या के अनुमोदित भवन मानचित्रों में बैसमेंट में वर्गमीटर रिटल्ट में वर्गमीटर एवं खुले क्षेत्र में वर्गमीटर के जिस भाग को पार्किंग के उपयोग में दर्शाया गया है, के सम्बन्ध में नगर निगम/परिषद/पालिका के हक में यह शपथ पत्र देता हूँ कि इसे केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जायेगा। मेरे द्वारा आवासीय भवन में पार्किंग क्षेत्र को अधिकार पत्र के माध्यम से निवासकर्ता के पार्किंग उपयोग हेतु अधिकृत कर सकूंगा। मेरे द्वारा प्रत्येक निवास ईकाई को कम से कम एक चौपहिया वाहन की पार्किंग चिन्हित कर आवश्यक रूप से अधिकृत करूंगा। इसका पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाये जाने पर, नगर निगम/परिषद/पालिका बिना किसी सूचना के तोड़ने का हकदार होगा एवं तोड़ने का हर्जा-खर्चा संबंधित क्रेता जिसने पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग किया है, से वसूला जा सकता है।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर नगर निगम/परिषद/पालिका तोड़फोड़ के लिए हर्जा-खर्चा-वसूलने तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही जैसे आर्थिक दण्ड (नगर निगम/परिषद/पालिका राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर उस दर से) वसूला जा सकेगा एवं मैं इसे देने के लिए बाध्य रहूंगा।

हस्ताक्षर